

67-24
23-12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION CASE)

C.W.J.C. No. Of 2012

Uday Shankar Singh

...

Petitioner

V E R S U S

The State of Bihar & Others

...

Respondents

INDEX

Subject:- Other Miscellaneous

Sl.No	Annexures	Particulars	Page No.
1	Annexure-1	<i>writ application</i> A photocopy of the RTI application.	19-20
2	Annexure-2	A photocopy of the Memo No. 93 dated 07-05-2009	21
3	Annexure-3 series	Photocopies of Memo No. 1847 dated 01-06-2009, Letter No. 88 dated 02-06-2009, Letter No. 459 dated 19-06-2009, Memo NO. 427 dated 23-06-2009, Memo No. 102 dated 24-06-2009, letter dated 24-06-2009 and Memo No. 439 dated 25-06-2009	22-28
4	Annexure-4	A photocopy of order dated 01-03-2011 as contained in Memo No. 89 dated 07-03-2011	29-30

6	Annexure-5 series	The photocopy of Memo No. 1706 dated 17-03-2011 and Memo No. 379 dated 28-03-2011	31-32
7	Annexure-6 series	The photocopy of letter No. 150 dated 07-07-2011 and letter No. 245 dated 03-09-2011	33-34
8	Annexure-7	The photocopy of letter No. 410 dated 05-03-2012	35
9		Vakalatnama	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION CASE)

C.W.J.C. No. Of 2012

Udai Shankar Singh ... Petitioner

V E R S U S

The State of Bihar & Others ... Respondents

SYNOPSIS

For issuance of writ in the nature of certiorari for quashing of order dated 01-03-2011 passed by the State Information Commission (hereinafter referred to as Commission only) in case No. 26527/09-10 whereby a penalty of Rs. 25,000/- has been imposed upon the Petitioner and it has been directed to make recovery of Rs. 1000/- per month from the salary of the Petitioner for a period of 25 months. For holding that the order of the Commission is arbitrary and illegal in as much as the Petitioner was not posted as Block Supply Officer, Madhepur during the given period and the Commission has proceeded to impose the penalty without giving an opportunity of hearing to the Petitioner. For issuance of writ in the nature of certiorari for quashing of letter No. 379 dated 28-03-2011 passed by the District Magistrate, Madhubani whereby a direction has been issued to make recovery of Rs. 1000/- per month from the salary of the Petitioner. For

quashing of letter No. 410 dated 05-03-2012 issued by the Subdivisional Establishment Deputy Collector, Madhepura whereby the Petitioner has been directed to deposit the amount of penalty in the Nazarat of the Subdivision through challan. For staying the order dated 01-03-2011 passed by the Commission, letter No. 379 dated 28-03-2011 issued by the District Magistrate, Madhubani and letter No. 410 dated 05-03-2012 issued by the Subdivisional Establishment Deputy Collector, Madhepura during the pendency of this writ application.

DATE AND EVENTS

11-04-2009/13-04-2009	Respondent No.10 seeks certain information from the office of the S.D.O., Jhanjharpur (Annexure-1)
07-05-2009/08-05-2009	S.D.O., Jhanjharpur sends the application to Block Supply Officer, Madhepur (Annexure-2)
01-06-2009 to 24-06-2009	The Petitioner was promoted and transferred as Assistant District Supply Officer, Madhepura (Annexure-3 series)
01-03-2011	The Commission imposed penalty of Rs. 25000/- upon the Petitioner (Annexure-4)
17-03-2011/ 28-03-2011	The Secretary of the Commission writes to the District Magistrate, Madhubani to make recovery from the

	salary of the Petitioner and the District Magistrate issued order for the same. (Annexure-5)
07-07-2011/03-09-2011	The S.D.O., Jhanjharpur communicates the order to the Petitioner at his place of posting at Ara but the letter could not be served as the Petitioner was transferred to Madhepura (Annexure-6 series)
05-03-2012	The Subdivisional establishment Deputy Collector directed the Petitioner to make deposit of the amount through challan.(Annexure-7)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION CASE)

C.W.J.C. No. Of 2012

In the matter of an application under
Article 226 of the Constitution of
India

AND

In the matter of :-

Uday Shankar Singh, Son of late Awadh Narain Singh, Resident of Village-
Fatehpur, P.S.-Didarganj, District-Patna, presently posted as Assistant
District Supply Officer, Madhepura.... Petitioner

V E R S U S

1. The State of Bihar
2. The Principal Secretary, Food & Consumer Protection Department,
Bihar, Patna
3. The District Magistrate, Madhepura,
4. The District Magistrate, Madhubani,

5. The Subdivisional Officer, Madhepura,
6. The Subdivisional Officer, Jhanjharpur, Madhubani,
7. The Subdivisional Establishment Deputy Collector, Madhepura,
8. The Block Supply Officer, Madhepur Block, Madhepur, District-Madhubani,
9. The State Information Commission, Bihar, Suchna Bhawan, Bailey Road, Patna through its Secretary,
10. Sri Manoj Jha, Son of not known, Resident of Village & Post-Madhepur, P.S.-Madhepur, Block-Madhepur, District-Madhubani

... Respondents

To

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and Her Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the
Petitioner abovenamed

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-

1. That this writ application is being preferred on behalf of the Petitioner abovenamed for the following reliefs:-

- (i) For issuance of writ in the nature of certiorari for quashing of order dated 01-03-2011 passed by the State Information Commission (hereinafter referred to as Commission only) in case No. 26527/09-10 whereby a penalty of Rs. 25,000/- has been imposed upon the Petitioner and it has been directed to make recovery of Rs. 1000/- per month from the salary of the Petitioner for a period of 25 months.
- (ii) For holding that the order of the Commission is arbitrary and illegal in as much as the Petitioner was not posted as Block Supply Officer, Madhepur during the given period and the Commission has proceeded to impose the penalty without giving an opportunity of hearing to the Petitioner.
- (iii) For issuance of writ in the nature of certiorari for quashing of letter No. 379 dated 28-03-2011 passed by the District Magistrate, Madhubani whereby a direction has been issued to make recovery of Rs. 1000/- per month from the salary of the Petitioner.
- (iv) For quashing of letter No. 410 dated 05-03-2012 issued by the Subdivisional Establishment Deputy Collector, Madhepura whereby the Petitioner has been directed to

deposit the amount of penalty in the Nazarat of the Subdivision through challan.

- (v) For staying the order dated 01-03-2011 passed by the Commission, letter No. 379 dated 28-03-2011 issued by the District Magistrate, Madhubani and letter No. 410 dated 05-03-2012 issued by the Subdivisional Establishment Deputy Collector, Madhepura during the pendency of this writ application.

2. That the following substantial questions of law are involved in the facts and circumstances of the case:-

- (i) Whether or not, the Petitioner is not liable for any default or delay in providing information to the respondent No.10 as he has already handed over his charge of Block Supply Officer, Madhepur on 24-06-2009 itself and during his tenure as Block Supply Officer, Madhepur, the RTI application of respondent No.10 was not produced before the Petitioner?
- (ii) Whether or not, it was the liability of the S.D.O., Jhanjharpur and the respondent No.10 to communicate the

Commission that the Petitioner has already handed over his charge of Block Supply Officer, Madhepur?

- (iii) Whether or not, when the Commission issued notice to the Block Supply Officer, Madhepur, the incumbent should have informed the Commission about the person, who is responsible for not providing the information or delay in providing the information to respondent No.10 but the Block Supply Officer did not file any explanation before the Commission pursuant to the notice. Apparently, in order to escape from the liability of explaining before the Commission and payment of penalty, the incumbent Block Supply Officer, Madhepur did not submit any explanation before the Commission?
- (iv) Whether or not, the order of the Commission is violative of the principle of natural justice as the order of penalty have been passed without giving an opportunity to the Petitioner to explain?
- (v) Whether or not, the malafide intention of the Subdivisional Officer, Jhanjharpur and the Block Supply Officer, Madhepur is apparent from the fact that during the

proceeding before the Commission, they never communicated to the Petitioner about the proceeding but the moment the Commission awarded a penalty and directed for recovery, they started communicating about the order of penalty to the Petitioner?

(vi) Whether or not, either respondent No.10 or the Subdivisional Officer, Jhanjharpur have played foul with the Commission as they intimated the name of the Petitioner as Block Supply Officer, Madhepur while the Petitioner had already handed over the charge on 24-06-2009?

3. That the Petitioner is a citizen of India and resides within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.
4. That the respondent No.10 filed an application under Right to Information Act (hereinafter to be referred to as RTI only) before the Public Information Officer, Subdivisional Office, Jhanjharpur (Madhubani) on 11-04-2009 seeking certain information. The application was received in the office of the Public Information Officer-Cum-Subdivisional Officer, Jhanjharpur on 13-04-2009.

A photocopy of the RTI application is annexed and marked as Annexure-1

5. That the Subdivisional Officer, Jhanjharpur-Cum-Public Information Officer vice his Memo No. 93 dated 07-05-2009, which was signed by the Subdivisional Officer on 08-05-2009, sent the RTI application of respondent No.10 to the office of the Block Supply Officer, Madhepur-Cum-Public Information Officer, Madhepur to provide information to the respondent No.10.

A photocopy of the Memo No. 93 dated 07-05-2009 is annexed and marked as Annexure-2

6. That it is not clear as to when the Memo No. 93 dated 07-05-2009/08-05-2009 was received in the office of the Block Supply Officer, Madhepur. The Petitioner, who was posted as Block Supply Officer, Madhepur was promoted and transferred as Assistant District Supply Officer, Bhojpur by the Department vide Memo No. 1847 dated 01-06-2009. The Petitioner made an application vide his letter No. 88 dated 02-06-2009 to the S.D.O., Jhanjharpur to relieve him pursuant to his transfer order. The S.D.O., Jhanjharpur sought a clarification from the District

Magistrate, Madhubani with regard to relieving of the Petitioner and the District Magistrate, Madhubani vide his letter No. 459 dated 19-06-2009 directed the S.D.O., Jhanjharpur to make alternative arrangement for handing over the charge and relieving the Petitioner. Thereupon, the S.D.O., Jhanjharpur vide his Memo No. 427 dated 23-06-2009 directed that the Petitioner will hand over his charge to the Block Supply Officer, Andhrathari. Accordingly, the Petitioner handed over his charge on 24-06-2009 to Arun Kumar Tewari, Block Supply Officer, Andhrathari vide Memo No. 102 dated 24-06-2009. The Petitioner communicated about handing over of the charge to the S.D.O. on 24-06-2009 itself and the S.D.O., Jhanjharpur vide his Memo No. 439 dated 25-06-2009 relieved the Petitioner to give his joining as Assistant District Supply Officer, Bhojpur.

Photocopies of Memo No. 1847 dated 01-06-2009, Letter No. 88 dated 02-06-2009, Letter No. 459 dated 19-06-2009, Memo NO. 427 dated 23-06-2009, Memo No. 102 dated 24-06-2009, letter dated 24-06-2009 and

Memo No. 439 dated 25-06-2009 are annexed and marked as Annexure-3 series

7. That from 08-05-2009 to 24-06-2009, i.e., the relevant period during which the Petitioner was working as Block Supply Officer, Madhepur, the Memo No. 93 dated 07-05-2009 sent by the Public Information Officer-Cum-S.D.O., Jhanjharpur and the RTI application of the respondent No.10 was never produced before the Petitioner.
8. That the Petitioner remained posted as Assistant District Supply Officer, Bhojpur till June, 2011 and in the month of July, 2011, he took over the charge of Assistant District Supply Officer, Sadar Madhepura pursuant to the transfer made by the Govt.
9. That the Petitioner has got no knowledge as to what transpire after his relinquishment of charge as Block Supply Officer, Madhepur with regard to the RTI application of respondent No.10 as the application was not before him during his tenure.
10. That, in the meanwhile, the respondent No.10 filed an appeal before the Commission as he was aggrieved by the information provided to him or because no information was provided to him.

His application led to institution of Case No. 26527/09-10. The Commission vide its order dated 05-01-2010 directed the Public Information Officer, Madhepur and first appellate authority to provide information to the respondent No.10 within a period of 30 days and explain the delay in providing the information.

11. That on 02-08-2010, it was informed by the respondent No.10 to the Commission that the Public Information Officer has not provided him the information. The Commission took this matter seriously and asked for a show cause explanation from the Public Information Officer as to why a penal proceeding be not initiated against the Public Information Officer. The Public Information Officer was directed to submit his explanation by 01-09-2010, the case was fixed for 08-09-2010.
12. That on 08-09-2010, the first appellate authority was present before the Commission and the Commission noted the fact that the respondent No.10 has been provided information with regard to Paragraph No.1. The information with regard to Paragraph No. 2,4,5,6 & 7 were not provided and the first appellate authority assured that he will get it provided to respondent No.10. The information with regard to Paragraph No.3 was held to be not

falling within the definition of information. The case was fixed for 02-12-2010. The first appellate authority was directed to provide information prior to the next date fixed with an intimation to the Commission and if he provides the information, he is not required to remain present on the next date.

13. That on 02-12-2010, the representative of the Public Information Officer-Cum-S.D.O., Jhanjharpur was present and the Commission took note of letter bearing No. 47 dated 25-11-2010 issued by the Block Supply Officer, Madhepur whereby the respondent No. 10 was directed to obtain the information from the office of the Block Supply Officer, Madhepur. Finding this information to be unsatisfactory, the Commission directed the Block Supply Officer, Madhepur to provide photocopy of the information to the respondent No.10 through post. The Commission held that the Block Supply Officer has not followed the provision of RTI Act, as such, the Law Officer-Cum-Registrar (Judicial) of the Commission was directed to issue show cause notice under Section-20 (1) of the RTI Act. The case was fixed for 01-03-2011.
14. That it is relevant to point out again that the Petitioner had handed over the charge of Block Supply Officer, Madhepur on 24-06-2009

and the Commission had issued notice to the Block Supply Officer, Madhepur on 02-12-2010 and as it transpires from the order dated 01-03-2011, the notice bearing letter No. 14160 dated 10-02-2011 was issued to the Block Supply Officer, Madhepur.

15. That on 01-03-2011, nobody filed an explanation on behalf of the Block Supply Officer, Madhepur and the Commission arbitrarily held the Petitioner guilty under Section-20 (1) of the RTI Act and awarded a penalty of Rs. 25,000/- to be recovered from the salary of the Petitioner in 25 months in installments of Rs. 1000/- per month. The Petitioner has come to know about the proceeding of the Commission on perusal of record of Case No. 26527/09-10. The Commission may be directed to produce the original record of the case so that the entire facts may come into the notice of this Hon'ble Court.

A photocopy of order dated 01-03-2011 as contained in Memo No. 89 dated 07-03-2011 is annexed and marked as Annexure-4

16. That even the order imposing the penalty was not communicated to the Petitioner, who by the time of issuance of Memo No. 89 dated

07-03-2011 was posted as Assistant District Supply Officer, Sadar Ara. The Memo No. 89 dated 07-03-2011 was only communicated to the Petitioner showing him to be Block Supply Officer, Madhepur.

17. That pursuant to the order of Commission, the Secretary of the Commission wrote to the District Magistrate, Madhubani for making recovery from the salary of the Petitioner vide Memo No. 1706 dated 17-03-2011. The District Magistrate, Madhubani vide his Memo No. 379 dated 28-03-2011 directed for recovery from the salary of the Petitioner while showing him to be posted as Block Supply Officer, Madhepur, District-Madhubani.

The photocopy of Memo No. 1706 dated 17-03-2011 and Memo No. 379 dated 28-03-2011 are annexed and marked as Annexure-5 series

18. That on 07-07-2011, the Public Information Officer-Cum-S.D.O., Jhanjharpur vide his letter No. 150 communicated about the order of the punishment by the address of Assistant District Supply Officer, Sadar Ara. But since the Petitioner was already transferred, the letter was returned with a report that the Petitioner

has been transferred as Assistant District Supply Officer, Madhepura. Thereupon, the S.D.O., Jhanjharpur vide his letter No. 245 dated 03-09-2011 communicated about the punishment order to the Petitioner at his place of posting, i.e., Madhepura.

The photocopy of letter No. 150 dated 07-07-2011 and letter No. 245 dated 03-09-2011 are annexed and marked as Annexure-6 series

19. That the Subdivisional Establishment Deputy Collector, Madhepura vide his letter No. 410 dated 05-03-2012 has directed the Petitioner to deposit the amount of penalty through challan.

The photocopy of letter No. 410 dated 05-03-2012 is annexed and marked as Annexure-7

20. That it is humbly stated and submitted that the Petitioner is not liable for any default or delay in providing information to the respondent No.10 as he has already handed over his charge of Block Supply Officer, Madhepur on 24-06-2009 itself and during his tenure as Block Supply Officer, Madhepur, the RTI application of respondent No.10 was not produced before the Petitioner.

21. That it is humbly stated and submitted that it was the liability of the S.D.O., Jhanjharpur and the respondent No.10 to communicate the Commission that the Petitioner has already handed over his charge of Block Supply Officer, Madhepur.
22. That it is humbly stated and submitted that when the Commission issued notice to the Block Supply Officer, Madhepur, the incumbent should have informed the Commission about the person, who is responsible for not providing the information or delay in providing the information to respondent No.10 but the Block Supply Officer did not file any explanation before the Commission pursuant to the notice. Apparently, in order to escape from the liability of explaining before the Commission and payment of penalty, the incumbent Block Supply Officer, Madhepur did not submit any explanation before the Commission.
23. That it is humbly stated and submitted that the order of the Commission is violative of the principle of natural justice as the order of penalty have been passed without giving an opportunity to the Petitioner to explain.
24. That it is humbly stated and submitted that the malafide intention of the Subdivisional Officer, Jhanjharpur and the Block Supply

Officer, Madhepur is apparent from the fact that during the proceeding before the Commission, they never communicated to the Petitioner about the proceeding but the moment the Commission awarded a penalty and directed for recovery, they started communicating about the order of penalty to the Petitioner.

25. That it is humbly stated and submitted that either respondent No.10 or the Subdivisional Officer, Jhanjharpur have played foul with the Commission as they intimated the name of the Petitioner as Block Supply Officer, Madhepur while the Petitioner had already handed over the charge on 24-06-2009.
26. That the Petitioner has got no other alternative or efficacious remedy than to prefer this writ application.
27. That the Petitioner has not preferred any such writ application earlier before this Hon'ble Court.

It is therefore prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application and issue RULE NISI calling upon the respondents as to why the reliefs sought for in the First Paragraph of

this writ application be not allowed
and upon return of the rule and cause
shown, if any, be further pleased to
make the rule absolute

AND

Be further pleased to pass any order
or orders, which your Lordships may
deem fit and proper in the facts and
circumstances of the case.

And for this, the Petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Uday Shankar Singh, aged about 53 years, Son of late Awadh Narain Singh, Resident of Village-Fatehpur, P.S.-Didarganj, District-Patna, presently posted as Assistant District Supply Officer, Madhepura do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am the Petitioner in the instant writ petition, as such, I am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That I have read and understood the contents of this writ application.
3. That the statements made in Paragraph Nos. 3,7,8 to 14,16,26 & 27 are true to my knowledge and the statements made in Paragraph No. 4,5,6,15,17,18 & 19 are to my information rest are by way of submissions.
4. That the annexures are the true copies of their respective originals/photocopies.

Uday Shankar Singh

प्रपत्र 'क'

(नियम 3(1) देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

19

28/09
13-5-09

11

सेवा में

लोक सूचना पदाधिकारी अनुसंधान कार्यालय, गाँगापुर (मध्यप्रदेश)

द्वारा अनुसंधान पदाधिकारी महोदय ।

1 आवेदक का नाम :- मनोज भा

2. पूरा पता :- गाँगा + पोस्ट - मधोपुर, धाना + प्रखण्ड - मधोपुर, जिला - मधुबनी (बिहार)

3. मागी गयी सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

(1) कृपया बताया जाय कि मधोपुर प्रखंडाधीन मधोपुर पश्चिमी पंचायत में कितने जन-वितरण विक्रेता कार्यरत हैं उनके नाम, पिताका नाम, कार्यस्थल का पता एवं कब से कार्यरत हैं। श्री विस्तृत जानकारी दी जाय एवं उनके नाम से निर्गत उपयोजित प्रमाण पत्रों की दृष्टा प्रति भी उपलब्ध करायी जाय।

(2) कृपया बताया जाय कि उक्त पंचायत के जन वि० विक्रेता श्री कन्हैया लाल दास तथा श्री धीरेन्द्र चौधरी एवं श्री लक्ष्मी कान्त चौधरी का वर्ष - 1999 से 31 मार्च 2009 तक सरकार की ओर से खास कार्ड योजना, अन्तोदय योजना, तथा अन्नपूर्णा योजना महत् में किस किस विधि से कितनी-कितनी मात्रा (किंवा लीटर) खाद्यान्न आवंटन किया गया। कृपया आवंटित खाद्यान्न की आवंटनादेशों की स्थापित दृष्टा प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रखंडाधीन अवधि के खाद्यान्न वितरण पंजी की स्थापित दृष्टा-प्रति भी उपलब्ध करायी जाय।

34
13/5/09

(3) कृपया ज्ञात करायी जाय कि वर्जित पंचायत में खाद्यान्न आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग / कार्यलय मधुबनी द्वारा आवंटित अन्तोदय खाद्यान्नों के वातानुसंधित संबंधित जन वि० विक्रेता द्वारा मार्च-2007 से संबंधित लाभार्थियों के मध्य आज की तिथि तक कर्षा नहीं वितरण किया गया। कृपया स्पष्ट मन्त्र्य दी जाय।

(4) कृपया अवगत करायी जाय कि क्या संबंधित पदाधिकारी द्वारा खाद्यान्न व किरातन सेवा वितरण के दौरान कांडिका (2) में उल्लिखित जन वि० विक्रेता के दूधान का औचक निरीक्षण किया गया अपना नहीं यदि हैं तो इन्होंने औचक के दौरान क्या पाया तथा क्या औचक किया गया। कृपया इस आशय की औचक प्रतिवेदन की स्थापित दृष्टा-प्रति उपलब्ध करायी जाय।

(5) कृपया बताया जाय कि उक्त पंचायत में कांडिका (2) में वर्जित जन वि० विक्रेता एवं अवधि में कितनी संख्या में लाल कार्ड धारी, पीला कार्ड धारी तथा अन्नपूर्णा कार्ड धारी हैं? कृपया इनका नाम, पता तथा कार्ड संख्या की प्रमाणित जानकारी वार्डिका उपलब्ध करायी जाय।

13-5-09

कव 46 356

(E) कृपया बताया जाय कि जब वि. वि. वि. वि. का स्वागत/वेल क्लिपिंग का रसम का केंद्र मेरी दैन का प्रावधान नहीं है (पिकेताओं के अनुसार)? यदि है तो क्या इस केंद्र मेरी दैन का आदेश संबंधित विभाग के द्वारा ही गई है? यदि नहीं तो आदेशों की छाया प्रति उपलब्ध करायी जाय।

(F) कृपया बताया जाय कि जब वि. वि. वि. के कर्मचारी लाल दास के द्वारा उनसे संबंधित सभी लाल कार्ड कार्डधारियों को वर्ष 1997-2009 तक रिजिस्ट्रार-कितना गेहूँ, चावल, चीनी/तेल की आपूर्ति किस-किस तिथि को संबंधित लाभार्थियों को किया गया। कृपया इस आदेश का एक रजिस्ट्रार व क्लिपिंग वही जिसमें संबंधित पदाधिकारी की स्वीकृति है, की स्थापित छाया-प्रति वर्षवार तिथि समेत उपलब्ध करायी जाय।

संज्ञित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

रूपया (शब्दों में) तिथि को रशीद सं०
कार्यालय में भुगतान किया है।
रूपया/भुगतान आदेश सं० दिनांक जो
पदाधिकारी के पक्ष में भुगतान बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप

रूपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबंद कर दिया) है।
... से नीचे वाले परिवार का है। मेरा बी.पी.एल. सं० - 54840 है जिसकी छाया-प्रति
... बाधित-सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है।

- मधोपुर
- 11/04/09
- नक :- बी.पी.एल. वृष्ट की
... प्रति संलग्न।

आवेदक का हस्ताक्षर
पूरा प्रता
मनोज भूषा

ग्राम+पोस्ट - मधोपुर
थाना - मधोपुर
प्रदण्ड - मधोपुर
जिला - मधुबनी
(विहार)

पत्रांक - 93

लोकराज

(21)

दिनांक - 07-5-09
पत्रांक - 28/09-केन्दर

विषय -

आवेदक - श्री मंगेश का
पेठ - वेधवाव का सोठ + फेठ - मन्नेपुर को
सुवना के प्रेषित।

मध्यस्थ,

आवेदक श्री मंगेश का सुवना प्रांत
प्रकार का सोठ + फेठ की दाना प्रति के जो
है आपको विहित का है। (कमल
के अंदर आवेदक को अपने अपने
अपने का सुवना प्रांत के सुवना प्रांत
प्रतिवेदक सुवना प्रांत को सुवना प्रांत
पेठ + फेठ के प्रेषित के सुवना प्रांत
सुवना प्रांत - प्रकाश की
दो-पेठ - एक प्रकाश सुवना प्रांत
- सुवना प्रांत

पत्रांक - 93

लोकराज

दिनांक - 07-5-09

पत्रांक - आवेदक - श्री मंगेश का
पेठ - वेधवाव का सोठ + फेठ - मन्नेपुर को
सुवना के प्रेषित।

लोकराज
मन्नेपुर

के

08-8-09

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार आपूर्ति सेवा के निम्नलिखित नव प्रोन्नत सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों के उनके नाम के सामने स्तम्भ-1 में अंकित स्थान/अनुमंडल/जिला में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है। इनका मुख्यालय पदस्थापित स्थान में रहेगा।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापत्र	पदस्थापित अनुमंडल
1	श्री श्यामादास चटर्जी	पटना	मसरख (सारण)	सदर अनुमंडल, लाजीपुर
2	श्री राजेश शंकर दूबे	नवादा	जिला आपूर्ति कार्यालय, मुजफ्फरपुर	सदर अनुमंडल, खगाडिया
3	श्री किन्ना कुमार-1	समस्तीपुर	चकिया (पूर्वी चम्पारण)	सदर अनुमंडल, दरमंगा
4	श्री विरचनाथ गुप्ता	मिर्जापुर	दाऊदनगर (औरंगाबाद)	सदर अनुमंडल, छपरा
5	श्री उदय शंकर सिंह	पटना	मधेपुर (मधुबनी)	सदर अनुमंडल, गोजपुर
6	मो० शम्भू अहमद	प० चम्पारण	रक्सौल (प० चम्पारण)	सदर अनुमंडल, पूर्णिया
7	श्री राम नारायण राम	सिवान	सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा)	सदर अनुमंडल, जहानाबाद
8	श्री नागेश्वर प्रसाद	पटना	रहुई (नालंदा)	सदर अनुमंडल, सिवान

उपरोक्त सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी अपने-अपने कार्यों के अतिरिक्त रिक्त जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर अपन हा वतनमान में आस्थापित तौर से प्रमारी के रूप में कार्य करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जयशंकर प्रसाद यादव)
सरकार के उप सचिव।

- 2 -

आपत्क - प्र० 3/अ-13/08 - 1244 खाद्य, पटना/दिनांक - 1.6.09
सम्बन्धित प्रमुंडलीय आपत्क/जिला पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/अपर जिला (आपूर्ति)/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/वित्त (व्यक्ति दावा कोषांग) विभाग/सम्बन्धित कोषांग पदाधिकारी एवं सम्बन्धित सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
नियंत्री पदाधिकारी से आग्रह है कि नव पदस्थापित सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु यथारोघ निश्चित रूप से निर्मित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

सरकार के उप सचिव।

Annex-3 Serial

(2)

(23)

2/10/09

क्रमांक 88 / दिनांक :- 02-06-09

प्रेषक,

उदयशंकर सिंह,
प्रबंध आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुर ।

सेवा में

अनुमंडल पदाधिकारी,
इक्षारपुर ।

विषय: सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भोजपुर, के पद पर योगदान देने हेतु विरामित करने के संबंध में ।

प्रसंग: सरकार के उप सचिव, राज एवम् उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना, का आदेश प्र०३/आ-१३/०९-१८५७/आ/पदादि ०१.०६.०९

महोदय,

उपरोक्त विषयक आदेशिका के आदेशों के अनुसार राज एवम् उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रशासनिक जनकेंद्र में जारीत आपूर्ति सेवा के नव शीर्षक सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्लॉक्स-५ में उचित स्थान के पद पर स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया गया है । अधिसूचना के क्रमांक-५ पर मुझे सादर अनुमंडल, भोजपुर, में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है ।

विभागीय अधिसूचना की छापील प्रत संलग्न करते हुये सादर अनुरोध है कि नव-पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु विरामित करने की कृपा की जाय ताकि नव-शीर्षक का लाभ ससमय मिल सके ।
अनुसूचक:- यथा-वर्णित ।

प्रबंधाधीन,
(2/10/09)
प्रबंध आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुर ।

(24)

Annexure 3 (b)

समाहरणाल, मधुबनी
(जिला आपूर्ति प्रशाखा)
पत्रांक 459/आपूर्ति.

XIII/2
दस्तावेज
20/6/09

प्रेषक.

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

179 (3)
वा 20/6/09

अनुमंडल पदाधिकारी,
अज्ञारपुर।

मधुबनी, दिनांक 19 वीं जून, 09 ई०।

विषय:

श्री उदय शंकर सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुर को विरमित करने के सम्बन्ध में।

परत -


आपका पत्रांक 372/स्थापना दिनांक 04-06-09

संदर्भ.

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है, कि श्री उदयशंकर सिंह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुर को तत्काल दैनिकीय व्यवस्था के तहत प्रभार का आदान प्रदान करा गव दरस्थापित स्थान के लिये विरमित करना सुनिश्चित किया जाय।

पत्रांक 427/09
दि 23-6-09 (क्रि.)

विश्वासमान


जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।



प्रभार प्रातिवेदन

26

- आदेश क्र 3/2009

अधोहस्ताक्षरी मै, उदयशंकर सिंह, ने अधोहस्ताक्षरी श्री. वि.कृती को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, श्री. प्र. र. का आपूर्ति से संबंधित प्रभार सौंपने के पश्चात् मै उदयशंकर सिंह, वा.आ. आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, की अधिसूचना संख्या 1847/वा.प. दिनांक 01.06.2009 के अनुपालन में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भोजपुर, के पद पर योगदान देने हेतु भोजपुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। विभागीय उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधुबनी, का आदेश, ज्ञापक .459/आ. आपूर्ति. दिनांक .19-06-2009... तथा इस परिशेष में अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर, का ज्ञापक .427... दिनांक 27.6.09 दृष्टव्य है।

24/6/09
भार-मुक्त पदाधिकारी

27/6/09
भार-ग्राही पदाधिकारी

ज्ञाप संख्या 102 /आ. आपूर्ति दिनांक 24.6.09

प्राप्तताप:-

- 1- सरकार के उप सचिव, वा.आ. एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना
- 2- कोषागार पदाधिकारी, झंझारपुर/भोजपुर
- 3- अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर/सदर अनुमंडल, भोजपुर
- 4- वित्त विवेकित दावा कोषागार विभाग, पटना।
- 5- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी/भोजपुर
- 6- जिला पदाधिकारी, मधुबनी/भोजपुर
- 7- आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/पटना,

की सेवा में सावर सूचना र्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/6/09
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,
.....
-सह-
अधिसूचित सहायक जिला आपूर्तिपदा

Amma - 3 de 75

(27)

(11)

श्री. श्री.

श्री. श्री. लालबाबु,
अम्मा

पिता: श्री. श्री. लालबाबु

पिता,

उपरोक्त पिता के संबंध में
श्री. श्री. लालबाबु का नाम 427 दिनांक 23.06.09
उक्त संस्थान का नाम है आठवाली
अम्माबाबा का नाम श्री. श्री. लालबाबु
यान: अम्मा लालबाबु, अम्माबाबा का नाम
श्री. श्री. लालबाबु, अम्माबाबा का नाम

पु.मा.

त

1,

2

3

दिनांक 24.06.09
यान: अम्मा लालबाबु
अम्माबाबा

श्री. श्री. लालबाबु का नाम
अम्माबाबा का नाम
अम्माबाबा का नाम

अम्माबाबा का नाम
अम्माबाबा का नाम

(28)

आज 29/06/09

अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारपुर, मधुबनी

स्वाध्याय प्रस्ताव :-

12

आदेश

सरकार के उप आंचव, खाद्य एवं उपभोग्यता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना, का आदेशानुसार 18/07/09 दिनांक 01-06-2009 द्वारा श्री उपसंचालक, एसडी, प्रथम आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी, को स्वयंसेवक नियुक्ति करते हुए स्वयंसेवक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी, के पद पर नियुक्ति किया गया है। इस पर ध्यान में जिला पदाधिकारी, मधुबनी, के पत्रांक 459/आपूर्ति, दिनांक 19.6.2009 द्वारा निर्देशित किया गया कि श्री उपसंचालक एसडी, प्रथम आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी, को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रभार आदान-प्रदान कराकर नव-पदस्थापना स्थान के लिए तब तक तैयार किया जाय। आदेश के अनुपालन में प्रभार का आदान-प्रदान दिनांक 24.6.09 को कर लिया गया है।

अतएव उपरोक्त आदेश के अनुपालन में श्री उपसंचालक एसडी, प्रथम आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी, मधुबनी, को अपने नव-पदस्थापन स्थान पर योगदान देने हेतु आज दिनांक 25-06-2009 के पूर्वदिन/अपराह्न में तद्विहित किया जाता है।
स्वाध्याय को संज्ञापूर्वक किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी,

बिहारपुर, मधुबनी

25/6/09

आप संख्या 19/09/स्वाध्याय, बिहारपुर, दिनांक 25/06/09

प्रतिनिधि श्री उपसंचालक एसडी, प्रथम आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी-एसडी-आध्याय स्वयंसेवक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी, को स्वयंसेवक कार्यार्थ प्रेषित प्रतिनिधि सरकार के उप आंचव, खाद्य एवं उपभोग्यता संरक्षण विभाग, पटना।

प्रतिनिधि कोबागार पदाधिकारी, बिहारपुर/मधुबनी

प्रतिनिधि अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी

प्रतिनिधि वित्त विभाग के दावा कोषागार, विभाग, बिहार, पटना

प्रतिनिधि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी/मधुबनी

प्रतिनिधि जिला पदाधिकारी, मधुबनी/मधुबनी

प्रतिनिधि आयुक्त के लिये, दरमंगा प्रभाल, दरमंगा/पटना, को सेवा में तब तक स्वयंसेवक एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी,

बिहारपुर, मधुबनी

Handwritten signature



29

राज्य सूचना आयोग

सूचना भवन, चौथा तल्ला, बेली रोड, बिहार, पटना।

दूरभाष- 2215713, 2235059, 2200412, 2200426 फ़ैक्स-2235466

वाद संख्या- 26527/09-10

श्री मनोज झा

.....आवेदक

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय
झंझारपुर, मधुबनी।

.....प्रतिवादी

01.03.11

आवेदक उपरिथत हैं। लोक सूचना पदाधिकारी अनुपरिथत है। आवेदक को कुल 1492 पृष्ठों की सूचना दी गई, जिस पर आवेदक ने निम्नलिखित आपत्ति दी है-

1. दी गई सूचना मात्र वित्तीय वर्ष 2007 से 2009 तक की है। शेष 7 वर्षों की सूचना नहीं दी गई है।
2. कैंस मेमो की छाया प्रति नहीं दी गई है।
3. लाल कार्ड, पीला कार्डधारियों की सूची पूरा नाम पता के साथ वार्डवार नहीं दी गई है।

आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें एवं उनके सहयोगी ललन झा पर शीघ्र आवेदन वापस लेने का दबाव संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं करने पर उनकी हत्या करवाने की धमकी भी दी जा रही है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री उदय शंकर सिंह, लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुर पर धारा-20(1) के तहत कार्रवाई हेतु औपचारिक कारण बताओ नोटिस पत्रांक 14160 दि० 10.02.11 द्वारा भेजा गया था। उस स्पष्टीकरण का उत्तर भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुर द्वारा नहीं दिया गया है। उसी तरह, श्री शाहिद परवेज, अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर, जिला मधुबनी को धारा-20(1) के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु औपचारिक कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उन्होंने भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अतः दोनों पदाधिकारियों पर धारा-20(1) के तहत 250/-रु० प्रतिदिन की दर से दंड लगाया जाता है जिसकी अधिकतम राशि 25,000/-रु० होगी। जिला पदाधिकारी, मधुबनी को निदेश दिया जाता है कि वे निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्रवाई करेंगे:-

1. श्री उदय शंकर सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुर, जिला मधुबनी के मार्च माह के वेतन से एक हजार रुपये प्रति माह की दर से कटौती की व्यवस्था करेंगे, यह कटौती पच्चीस माह तक होगी एवं कटौती की गई राशि निम्नलिखित शीर्ष में जमा होगी।

2. श्री शाहिद परवेज, अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर अनुमंडल, जिला मधुबनी के मार्च माह के वेतन से दो हजार रुपये प्रति माह की दर से वेतन से कटौती बारह माह तक एवं तेरहवें माह में एक हजार रुपये की कटौती की जाएगी एवं निम्नलिखित शीर्ष में जमा की जाएगी।

30

3. आवेदक को शेष सूचना देने की व्यवस्था करेंगे।

4. आवेदक ने जो गंभीर आरोप लगाया है, इसकी जांच एक वरीय पदाधिकारी से कराएंगे एवं अगली तिथि के पहले आयोग को प्रतिवेदन देंगे।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी से अपेक्षा है कि वे उपर्युक्त चारों बिन्दुओं पर कार्रवाई कर अगली तिथि के पहले आयोग को प्रतिवेदन देंगे एवं अगली तिथि को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे। वाद की अगली सुनवाई दिनांक 04.08.11 को 10.30 बजे होगी।

खाता शीर्ष-मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ

उप मुख्य शीर्ष- 60-अन्य सेवाएँ

लघु शीर्ष-118-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ

उपशीर्ष -0003-लोक सूचना पदाधिकारी से वसूलनीय दंड राशि

विपत्र कोड -R 0070601180003 "

ह0/-

(अशोक कुमार चौधरी)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

ज्ञापांक- 89 / रा0सू0आ0

पटना, दिनांक 3 मार्च, 2011

प्रतिलिपि: सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/श्री उदय शंकर सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुर, जिला मधुबनी/श्री शाहिद परवेज, अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर अनुमंडल, जिला मधुबनी/श्री मनोज झा, ग्राम+पो0-मधेपुर, थाना+प्रखंड -मधेपुर, जिला मधुबनी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजेश कृष्ण सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-अपर निबंधक

अत्यावश्यक



Annex 5 June

93

राज्य सूचना आयोग

सूचना भवन, चौथा तल्ला, बेली रोड, बिहार, पटना।

दूरभाष- 2215713, 2235059, फैक्स-2235466

37

पत्रांक-1/वि0-289/11/...../रा0सू0आ0
सेवा में,

पटना, दिनांक.....2011

जिला पदाधिकारी
मधुबनी।

विषय:- लोक सूचना पदाधिकारी श्री शाहिद परवेज, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, मधुबनी एवं श्री उदय शंकर सिंह, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी पर निर्धारित आर्थिक दण्ड की राशि जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में श्री अशोक कुमार चौधरी, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा वाद सं0-26527/09-10 श्री मनोज झा बनाम लोक सूचना पदाधिकारी श्री शाहिद परवेज, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, मधुबनी एवं श्री उदय शंकर सिंह, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी में दिनांक 01.03.11 को पारित आदेश की फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। आयोग द्वारा लोक सूचना पदाधिकारी श्री शाहिद परवेज, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, मधुबनी एवं श्री उदय शंकर सिंह, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी पर निर्धारित आर्थिक दण्ड की राशि रु0 25,000-25,000/- (पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये मात्र) को खाता शीर्ष-मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-118-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ, उपशीर्ष-0003-लोक सूचना पदाधिकारी से वसूलनीय दण्ड राशि, विपत्र कोड-R 0070601180003 में दिनांक 20.06.11 के पूर्व जमा कराना सुनिश्चित करें तथा चलान की फोटो प्रतिलिपि दिनांक 25.06.11 के पूर्व अधीनस्थानकारी को भेजने का कक्ष करें, ताकि आयोग के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश वाध्यकारी है। अतएव निर्धारित तिथि तक जुर्माना की राशि जमा नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध अन्य कार्रवाई के अलावा विभागीय कार्रवाई करने के लिए सक्षम पदाधिकारी को आयोग अनुशंसा कर सकता है।

अनुलग्नक: यथोपरि

विश्वासभाजन

ह0/-

(बी बी0 पाण्डेय)

सचिव

ज्ञापांक-1/वि0-289/11/1706/रा0सू0आ0

पटना, दिनांक-17/03/2011

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/ लोक सूचना पदाधिकारी श्री शाहिद परवेज, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, मधुबनी/ श्री उदय शंकर सिंह, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी को आवश्यक अनुपालनार्थ अग्रसारित।

(बी बी0 पाण्डेय)

सचिव

OK

समाहरणालय, मधुबनी
(जिला लोक सूचना कोषांग)
पत्रांक जि.लो.सू.

Approved 5 Sunday (30)

32

प्रेषक,

2011

जिला पदाधिकारी
मधुबनी ।

सेवा में

लोक सूचना पदाधिकारी सह
अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर/
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधुपुर ।

मधुबनी, दिनांक मार्च 2011

विषय:-

लोक सूचना अधिकार के तहत वाद सं० 26527/09-10 श्री मनोज झा बनाम लोक सूचना पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर से सूचना आयोग के आदेश का अनुपालन करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव सह अपर निबंधक, राज्य सूचना आयोग, बिहार पटना के ज्ञापांक 89/रा०सू०आ० दिनांक 07.03.2011 जिसकी प्रतिलिपि आपको भी दी गई है, का निर्देश करें । वाद संख्या 26527/09-10 श्री मनोज झा, बनाम लोक सूचना पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, झंझारपुर में संबंधित पत्र का अनुपालन आवेदक द्वारा आपत्ति के आलोक में आपके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है । फलतः आयोग द्वारा प्रासंगिक पत्र में दिये गये आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन अघोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे:-

- 1- श्री उदय शंकर सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधुपुर, जिला मधुबनी के मार्च माह के वेतन से एक हजार रुपये प्रति माह की दर से कटौती की व्यवस्था करेंगे, यह कटौती पच्चीस माह तक होगी एवं कटौती की गई राशि निर्धारित शीर्ष में जमा होगी ।
- 2- श्री शाहिद परवेज, अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर अनुमंडल, जिला मधुबनी के मार्च माह के वेतन से दो हजार रुपये प्रति माह की दर से वेतन से कटौती बारह माह तक एवं तेरवें माह में एक हजार रुपये की कटौती की जायगी एवं निर्धारित शीर्ष में जमा की जाएगी ।
- 3- आवेदक को शेष सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुए दी गई सूचना की जानकारी आयोग एवं अघोहस्ताक्षरी को देंगे ।

निदेशित किया जाता है कि आयोग द्वारा संलग्न पत्र में दिये गये आदेश/निदेश का अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन अघोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

अनु०-यथोपरि ।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञापांक 37/जि.लो.सू. मधुबनी, दिनांक 28 मार्च 2011

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव सह अपर निबंधक, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 89/रा.सू. आ. दिनांक 07.03.2011 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

जिला पदाधिकारी
मधुबनी ।

11765

7/6/11

4/18

पत्रांक | 50/लो०सू०

Amrabad C. S. S. S. S.

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,

सह-
अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर ।

69

33

सेवा में,

श्री उदय चर्कर सिंह
लोक सूचना पदाधिकारी
सह-

सहायक जिला आपत्ति पदाधिकारी,
आरा सदर, जिला आरा, भोजपुर

झंझारपुर, दिनांक 7 वीं जुलाई 2011 ई० ।

विषय:- राज्य सूचना आयोग द्वारा वा.सं.क्र.या.26/27/09-10 श्री मनोज झा
सा०-मधेपुर से संबंधित बाद में दिनांक 1-3-11 को पारित आदेश
का अनुपालन ।

प्रसंग:- संयुक्त सचिव-सह-अपर निबंधक, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना
का द्वापत्रांक 89/रा०सू०आ०दिनांक 7-3-11 एवं जिला पदाधिकारी,
मधुबनी का पत्रांक 379/जि०लो०सू०दिनांक 28-3-2011 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि श्री मनोज झा
सा०-मधेपुर को वांछित सूचना सम्यक रूप से आपके स्तर से अप्राप्त रहने के फलस्वरूप
आयोग द्वारा आपको सूचित किया गया है । तत्संबंधी आयोग के पत्रांक 89/रा०सू०
आ. दिनांक 7-3-11 एवं इस आशय से संबंधित जिला पदाधिकारी, मधुबनी के
पत्रांक 379/जि०लो०सू० दिनांक 28-3-11 की छाया प्रति संलग्न कर भेजी जा रही
है । पत्र में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

विभागाध्यक्ष

विशवासभूजन

लोक सूचना पदाधिकारी,
सह-
अनुमंडल पदाधिकारी,
झंझारपुर ।

श्रीमान

पत्रांक १५५ / लोक सूचना

34
Administration of Justice

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
-सह-

अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर ।

सेवकों,

श्री उदय शंकर सिंह,
लोक सूचना पदाधिकारी,
-सह-

सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा सदर अनुमंडल, जिला- मधेपुरा ।

झंझारपुर, दिनांक १ वीं अक्टूबर 2011 ई० ।

विषय:- राज्य सूचना आयोग द्वारा वादसंख्या 26527/09-10 श्री मनोज झा
सा०-मधेपुरा से संबंधित वाद में राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित
आदेश का अनुपालन

प्रसंग:- संयुक्त सचिव-अपर निर्बंधक, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना का
आपका ३९/रा.स.आ. दिनांक 7-3-11 एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी
का पत्रांक 379/जि.लो.सू. दिनांक 28-3-11 ।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक श्री मनोज झा सा०- मधेपुरा को वांछित सूचना सम्यक
रूप से आपके स्तर से अप्रामाण्य रहे रहने के फलस्वरूप आयोग द्वारा आपको दंडित
किया गया है । आयोग एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्र की प्रतिक्रिया
संलग्नकर इस कार्यालय के पत्रांक 150/लो०सू० दिनांक 7-7-2011 द्वारा सहायक
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, आरा सदर, जिला-आरा भोजपुर के पत्र से पत्र
तामिला के लिये भेजा गया था परन्तु पत्र बिना तामिला के वापस डाक विभाग
द्वारा यह कहते हुए वापस किया गया कि उनका स्थानान्तरण मधेपुरा जिला
हो गया है ।

अतएव पत्रांक 150/लो०सू० दिनांक 7-7-11 के साथ संलग्न अनुलग्नक
पुनः संलग्न कर भेजते हुए कहना है कि पत्र में निहित आदेश का अनुपालन
सुनिश्चित करें ।

अनु०:- यथावर्णित ।

=====

विश्वासभाषण


लोक सूचना पदाधिकारी,
-सह-
अनुमंडल पदाधिकारी,
झंझारपुर ।
=====

35

अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा ।

(स्थापना शाखा)

पत्रांक.....410 /

प्रेषक,

अनुमंडल स्थापना उपसमाहर्ता,
मधेपुरा ।

सेवा में,

सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा ।

मधेपुरा / दिनांक 5/3/12

विषय : बाब संख्या 20527 / 09-10 श्री मनोज झा अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित दण्ड की राशि जमा करने के संबंध में ।

प्रसंग :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 430 दिनांक 20.09.11

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा वदा संख्या 26527 / 09-10 श्री मनोज झा अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित दण्ड की राशि मो०- 25,000.00 (पच्चीस हजार) रुपये वसूल कर निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने का अनुरोध किया गया है ।

अतः प्रासंगिक पत्र के आलोक में आप निर्धारित दण्ड की राशि अनुमंडल नजारात में चालान द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें ताकि चालान की प्रति जिला पदाधिकारी महोदय, मधेपुरा को अपलोकर्गार्थ वथा शीघ्र भेजा जा सके ।

विश्वासभाजन,

अनुमंडल स्थापना उपसमाहर्ता,

मधेपुरा ।
3.3.12

अनुमंडल
#2.